

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 1792/2010/जयपुर

मैसर्स पावर सैल बैटरी, आदर्श नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,

उप राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स-प्रथम), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 08/आर.वेट/ए/2009-10 के संबंध में पारित किया गया है के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "वेट अधिनियम" कहा गया है) की धारा 23 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 27.02.2009 के जरिये कायम की गयी मांग राशि ₹66,808/- की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश पारित करते समय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि आलोच्य अवधि में उसके द्वारा राज्य के बाहर स्थित शाखाओं को माल का स्थानान्तरण किया गया है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह भी पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कुल ₹10,05,844/- का शाखा हस्तांतरण करना घोषित किया गया है जिसके संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ₹3,55,046/- के घोषणा प्ररूप "एफ" प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वतः कर निर्धारण योजना के तहत अधिनियम की धारा 23 के तहत ₹3,55,046/- पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर ₹44,381/- व अनुवर्ती ब्याज अधिनियम की धारा 55 के तहत ₹12,427/- आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी

लगातार.....2

व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बैटरी सेल राज्य के बाहर से मैसर्स एवरेडी इण्डस्ट्रीज, लि. नोयडा से जरिये इन्वॉयस क्रमांक 1/2006-07/884 व इन्वॉयस क्रमांक 1164 क्रमांक दिनांक 11.08.2006 व दिनांक 17.10.2006 को कय किये गये थे। परन्तु बाद में किसी कारणवश उक्त कयशुदा माल Saleable and Marketable नहीं होने के कारण उक्त माल को जरिये चालान क्रमांक DN/JPR/06 दिनांक 13.12.2008 के द्वारा विक्रेता फर्म को वापस कर दिया गया था। कथन किया कि उक्त कय वापसी के संबंध में प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को इस संबंध में अवगत भी करवाया गया था कि उक्त लिपकीय भूल के कारण ऑडिट रिपोर्ट व वैट-10 में अंकित हो गया है जिसके संबंध में रिटर्न/घोषणा पत्र आदि के साथ स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत कर दिया था परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त की भी अनदेखी कर, उक्त विकय वापसी पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर व अनुवर्ती ब्याज आरोपित कर, आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2008) 16 वी.एस.टी. 193 व 20 एस.टी.सी. 64 को प्रोद्धरित कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन करने से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश स्वतः कर निर्धारण योजना के तहत अधिनियम की धारा 23 सपठित केन्द्रीय विकय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है अर्थात् अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त विवरण प्रपत्र, ऑडिट रिपोर्ट व त्रैमासिक विवरण प्रपत्र समयावधि में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रस्तुत दस्तावेजों/रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी को बिना कार्यालय में बुलाये स्वतः कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि किसी प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 19(6) के तहत संशोधित विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। यद्यपि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संशोधित विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया था

परन्तु विवरणियों/घोषणा प्रपत्रों आदि के साथ विवादित/कथित बिक्री के संबंध में निम्न विवरण प्रस्तुत किये गये थे " That the applicant has purchased battery cells manufactured by M/s Eveready Industries Ltd. Noida vide invoice No. Noi/2006-2007/884 dated 11-08-2006 and invoice No. Noi/2006-2007/1164 dated 17-10-2006. The said batteries due to various reasons was not saleable and maretable, therefore, was returned to M/s Eveready Industries Ltd. vide challan No. DN/JPR/6/ dated 13-12-206.

The copies of the challan through which material of Rs. 3,55,047/- has been sent is enclosed along with the certificate of return of material.

That due to oversight and clerical error the said return of material has been taken into the list of stock transfer against form F from Rajasthan.

That since the material was being returned as has been established by the return invoice and the certificate, there was no tax liability, but due to compling error the said amount of Rs. 3,55,047/- was included in the list of details of requirement of form F for stock transfer from Rajasthan during the assessment year 2006-7 and accordingly also due to this error it was included in the return as branch transfer.


That in view of the above facts it is humbly prayed ad requested that in any case there was no liability of tax on the material being returned back to the purchaser as it was defective and not correct. It is humbly prayed that the returns and statements to this effect may kindly be considered to be corrected to this account and that the said transaction was not a branch transfer but was the purchase return of the material."

"कर निर्धारण अधिकारी की रिकॉर्ड पत्रावली पर उक्त स्पष्टीकरण पृष्ठ क्रमांक 14 पर विवरणियों के साथ संलग्न है । अतः प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर स्वतः कर निर्धारण आदेश पारित करते समय भी प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त तथ्य व दिये गये स्पष्टीकरण की अनदेखी कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 के प्रावधानों के तहत किसी प्रकार के कर दायित्व बढ़ाने से पूर्व व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी कर, उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना बाध्यकारी है विशेष रूप से ऐसी स्थिति में, जब हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विवादित करारोपण के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विवरणियों के संलग्न किया गया है कि उसके द्वारा कय किया गया माल कय वापसी मात्र है न कि स्टॉक ट्रांसफर । उक्त स्पष्टीकरण को अनदेखी कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया करारोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भी विधिक त्रुटि की गयी है । इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाकर,

विवादित बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है ।

परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।


5-6-2014
(मदन लाल)
सदस्य